न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 13/2018 तारीख रजू:–23.2.2018

पतराम पुत्र श्रीलाल जाति जोगी निवासी तहारपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली :–अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायव तहसीलदार सूरौठ जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.1.2018 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम पतराम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट न्यायालय नायव तहसीलदार सूरोठ मु0नं0 706/017

निर्णय दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील नायब तहसीलदार सूरौठ तहसील हिण्डौन के निर्णय दिनांक 16.01.2018 से नाखुश होकर बताया गया है कि अपीलान्ट के खिलाफ़ मातहत अदालत द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही उसे कभी भौतिक रूप से बेदखल किया है। मात्र पटवारी हल्का के बयान पर भरोसा कर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का से जिरह नहीं करायी गयी है ना ही कोई स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य लिये गये हैं। अपीलाण्टी को इस निर्णय की जानकारी घर पर पुलिस का सिपाही आने पर हुई। तत समय दिनांक 16.02.2018 को नियमानुसार न्यायालय से नकल प्राप्त कर श्रीमान् की सेवा में अंदर मियाद अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोराते हुये कहा गया है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिकमण नही किया गया है ना ही पूर्व में किया गया था। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अपने कथन में न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही है। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभयपक्षकारान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का भुकरावली ने एक रिपोर्ट

के बयान को आधार मानकर ही पश्चातवर्ती अतिचार माना है। जो विधि विरूद्व है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार सूरौठ का निर्णय दिनांक 16.01.2018 में से सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली